न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **44/2026(185/2024)** दायर दिनाँक **05.02.2026(24.07.2024)**

वादीगण

1. रामनिवास पुत्र स्व. शंकरराम जाति मेघवाल निवासी सींवा तहसील लाडनूं जिला डीडवाना–कुचामन
2. जगदीश पुत्र मुलतान जाति बावरी निवी फरडोद तहसील जायल जिला नागौर राज.

बनाम्

प्रतिवादी

1. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, व रेकर्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act एवं 136 L.R.Act

1. श्री छोटूराम चौधरी वकील वादीगण।

–:: **निर्णय** ::–

दिनाँक **24.03.2026**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वाकै सरहद बांठडी पटवार हल्का बिंचावा में खेत खसरा संख्या 369 रकबा 0.2500 हैक्टेयर गै. मु. आवासीय प्रयोजनार्थ, तथा खेत खसरा संख्या 368 रकबा 0.0600 है. गै.मु.रास्ता खेत खसरा संख्या 853/369 रकबा 0.1800 है. गै.मु.आवासीय प्रयोजनार्थ जमीन वादीगण की खातेदारी दर्ज है। वादी संख्या 2 जगदीश ने खेत खसरा संख्या 568/177 रकबा 04 बीघा सम्पूर्ण खसरा पूर्व खातेदारी राधाकिशन पुत्र हणुताराम जाति मेघवाल निवासी रणसीसर से खरीद किया था जिसका म्युटेशन अपने नाम दर्ज होने पर वादी संख्या 2 जगदीश ने उक्त खसरा 04 बीघा में से 02 बीघा 01 बिस्वा का बैचाण वादी संख्या 1 रामनिवास के पक्ष में कर दिया जिसका म्युटेशन वादी संख्या 1 रामनिवास के नाम दर्ज होकर नये खसरा संख्या 705/568 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा दर्ज हुआ। इस प्रकार वादी संख्या 1 रामनिवास के बंट में खसरा संख्या 705/568 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा तथा वादी संख्या 02 जगदीश के बंट में मूल खसरा संख्या 568/177 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा रहा। उक्त वर्णित नये खसरों 369, 368, 853/369 के पुराने खसरा संख्या 705/568 व 568/177 थे। जो वादी संख्या 2 ने ख. संख्या 568/177 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा की सम्पूर्ण जमीन व वादी संख्या 01 ने खसरा संख्या 705/568 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा की सम्पर्ण जमीन गैर मुमकिन आवासीय प्रयोजनार्थ कन्वर्ट कराने के बाद वादी संख्या 1 के बंट में 11 बिस्वा जमीन व वादी संख्या 2 के बंट में 9 बिस्वा जमीन राज्य सरकार की हाई–वे सडक योजना में सरकार को सलेन्डर कर दी। संवत् हाल में सैटलमेंट अधिकारियों द्वारा हाल सैटलमेंट में दौरान गलती से वादी संख्या 1 के बंट के खसरा संख्या 705/568 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा में 11 बिस्वा जमीन राज्य सरकार को सलेन्डर करने के बाद शेष जमीन 1 बीघा 10 बिस्वा की जमीन को वादी संख्या 2 जगदीश के नाम दर्ज करके नये खसरा संख्या 369 रकबा 0.2500 है. गैर मुमकिन आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज कर दिये तथा गलती से वादी संख्या 02 के बंट के खसरा संख्या 568/177 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा में 09 बिस्वा जमीन राज्य सरकार को सलेन्डर करने के बाद शेष जमीन 1 बीघा 10

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

बिस्वा की जमीन को वादी संख्या 1 रामनिवास के नाम दर्ज करके नये खसरा संख्या 368 रकबा 0.0600 है. गैर. मुमकिन रास्ता व खसरा संख्या 853/369 0.1800 गै.मु.आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज कर दिये जबकि मौके पर कोई रास्ता नहीं है। जो कतई गलत है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार है:–

राजस्व ग्राम बांठडी पटवार हल्का बिंचावा के खसरा संख्या 368 रकबा 0.0600 है. गैर मुमकिन रास्ता व खसरा संख्या 853/369 रकबा 0.1800 गै.मु. आवासीय प्रयोजनार्थ, की जमीन में से वादी संख्या 1 रामनिवास के नाम दर्ज खातेदारी को हटाया जाकर उनके नाम दर्ज गलत खातेदारी की भूमि को वादी संख्या 2 जगदीश के नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे। तथा खातेदारी में से खसरा संख्या 368 रकबा 0.0600 है. गै.मु.रास्ता को हटाया जाकर उक्त रकबे को खसरा संख्या 853/369 रकबा 0.1800 गै.मु.आवासीय प्रयोजनार्थ में दर्ज किया जावे। तथा खसरा संख्या 369 रकबा 0.2500 गै.मु.आवासीय प्रयोजनार्थ, की जमीन में से प्रतिवादी संख्या 02 जगदीश के नाम दर्ज खातेदारी को हटाया जाकर उनके नाम दर्ज गलत खातेदारी की भूमि को वादी संख्या 01 रामनिवास के नाम खातेदारी घोषित किया जाकर रेकर्ड दुरूस्ती फरमाई जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार छोटीखाटू से जरिये पत्रांक–1216 दिनांक 14.07.2025 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई। वादी का वाद दिनांक 13.08.2025 को न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का नहीं होने के आधार पर खारीज किया गया। तत्पश्चात् माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, नागौर के अपील संख्या 192/2025/223/ डीडवाना बनुवान रामनिवास बनाम तहसीलदार में दिनांक 21.11.2025 में निर्णय पारित किया गया है कि – ''चूंकि वादग्रस्त जी पूर्व में राजस्व भूमि रही है तउक्त वादग्रस्त भूमि को राजस्व कर्मचारियों की भूल से रेकर्ड में गलत अंकन किया गया है जिसका अधीनस्थ न्यायालय को सूनने का पूर्ण अधिकार है।'' एवं माननीय न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पुनः नए सिरे से पारित करने हेतु पुनः प्रेषित किया गया।

माननीय न्यायलय के निर्णय के उपरान्त वाद का वाद पुनः नए नम्बर से दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार छोटीखाटू से जरिये पत्रांक–भू0अ0/2026/361 दिनांक 23.03.2026 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार छोटीखाटू से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बांठडी के वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार खसरा संख्या 369 रकबा 0.25 है. किस्म गै.मु.आवासीय प्रयोजनार्थ की खातेदारी जगदीश पुत्र मुलतान जाति बावरी सा. फरडोद व 853/369रकबा 0.9800 है. किस्म गै.मु.आवासीय प्रयोजनार्थ 368 रकबा 0.0600 है. किस्म गै.मु.रास्ता की खातेदारी रामनिवास पुत्र शंकरराम जाति मेघवाल सा0 सींवा तहसील लाडनूं व 864/369 रकबा 0.0700 है. किस्म बारानी1 व 865/853 रकबा 0.0500 है. 866/368 रकबा 0.0400 है. किस्म गै.मु.रास्ता की खातेदारी राजस्थान सरकार (खाता संख्या 1) रिकॉर्ड में दर्ज है। ग्राम बांठडी के जमाबंदी चौसाला 2067 से 2070 में खसरा संख्या 568 रकबा 4–00 बीघा किस्म बारानी 1 की खातेदारी राधाकिशन पुत्र हणुताराम जाति मेघवंशी सा. रणसीसर के नाम रेकर्ड दर्ज थी खातेदार राधाकिशन द्वारा उक्त भूमि बैचाण करने पर नामा. सं. 608 दिनांक 05.05.15 (बैचाण) के द्वारा जगदीश पुत्र मुलतान कौम बावरी सा. फरडोद (जायल) के नाम रेकर्ड दर्ज हुई। खातेदार जगदीश द्वारा उक्त भूमि में से 2–00बीघा भूमि रामनिवास पुत्र शंकरराम जाति मेघवाल निवासी सींवा (लाडनूं) को बैचाण करने पर

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

नामा. सं. 661 दिनांक 01.07.2015 (बैचाण) के द्वारा खसरा संख्या 705/568रकबा 2–01 बीघा व शेष खसरा संख्या 568/177 रकबा 1–19 बीघा खातेदार जगदीश पुत्र मुलतान के नाम रेकर्ड दर्ज हुई। तत्पश्चात् खातेदार रामनिवास पुत्र शंकरराम ने अपनी भूमि खसरा संख्या 705/568 रा 2–01 बीघा में से सडक की तरफ 0–11 बीघा भूमि राजस्थान सरकार के पक्ष में समर्पण करने पर नामा. सं. 695 दिनांक 16.11.2015 के द्वारा खसरा संख्या 717/705 रकबा 0–11 बीघा राजस्थान सरकार के नाम व शेष भूमि खसरा संख्या 705/568 रकबा 1–10 बीघा मूल खातेदार रामनिवास पुत्र शंकरराम के नाम रेकर्ड दर्ज हुई है। जगदीश पुत्र मुलतान कौम बावरी ने अपनी सम्पूर्ण खातेदारी भूमि खसरा संख्या 568/177 रकबा 1–10 बीघा का आवासीय सम्परिवर्तन करवाने पर नामा. सं0 696 दिनांक 16.11.2015 के द्वारा 568/177 रकबा 0.2429 है. किस्म आवासीय प्रयोजनार्थ रिकोर्ड दर्ज हुई। खातेदार रामनिवास पुत्र शंकराराम जाति मेघवाल ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 705/568 रकबा 1–10 बीघा सम्पूर्ण भूमि का आवासीय सम्परिवर्तन करवाने पर नामा संख्या 695 दिनांक 16.11.15 के द्वारा खसरा नम्बर 705/568 रकबा 0.2429 है. किस्म आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज हुई। नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 853/369 रकबा 0.2115 है. आवासीय पर रामनिवास पुत्र शंकरराम जाति मेघवाल निवासी सींवा तहसील लाडनूं व खसरा संख्या 369 रकबा 0.2150 है. आवासीय प्रयोजनार्थ पर जगदीश पुत्र मुलतान जाति बावरी सा. फरडोद मौके पर काबिज है। खसरा नम्बर 864/853 रकबा 0.0600 है., खसरा नम्बर 865/369 रकबा 0. 0600 है. किस्म बारानी खसरा नम्बर 6/368 रकबा 0.0400 है. किस्म गै.मु.रास्ता राज. सरकार के नाम रिकोर्ड दर्ज है।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता ने तहसीलदार छोटीखाटू से प्राप्त रिपोर्ट पर सहमति जाहिर की विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया सरहद बांठडी पटवार हल्का बिंचावा तहसील छोटीखाटू के मुतवादिया आराजियात के रेकर्ड दुरूस्ती करने बाबत् हस्तगत वाद प्रस्तुत किया गया। वादीगण का कथन है कि प्रश्नगत भूमि खसरा संख्या 368, 369, 853/369 को सेटलमेंट विभाग क द्वारा गलत दर्ज कर दिया गया है। सैटलमेंट कार्यवाही के दौरान किए गए गलत इन्द्राजात को दुरुस्त किये जाने की इस्तदुआ कर रहा है। वादीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिसमें सैटलमेंट कार्यवाही के वक्त हुई त्रुटी पुष्ट होती हो। अदम साक्ष्य में वादीगण की इस्तदुआ स्वीकार्य नहीं है।

हस्तगत वाद में भू प्रबन्ध कार्यवाही के वक्त हुई त्रुटी को वादीगण दुरूस्त करवाना चाहते है। प्रथमतः भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान हुई त्रुटी होना प्रमाणित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वाद स्वीकार्य नहीं है।

हस्तगत वाद के मुख्यतः राज्यसरकार के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। वाद की दायरी से पूर्व 80(2) सीपीसी का विधिक नोटिस राज्य सरकार को नहीं दिया गया है जिसके अभाव में वादीगण इस्तदुआ स्वीकार्य नहीं है।

हसतगत वाद में वर्णित आराजियात तहसील छोटीखाटू में स्थित है। प्रकरण में तहसीलदार छोटीखाटू आवश्यक पक्षकार है। वादीगण के द्वारा तहसीलदार छोटीखाटू को पक्षकार नहीं बनाया गया है। आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाये जाने पर वादीगण किसी प्रकार की इस्तदुआ प्राप्त नहीं कर सकते है।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपरोक्त विवेचनों के परिपेक्ष्य में वाद वादी खारीज किया जाता है।

–:: आदेश ::–

राजस्व ग्राम बांठडी पटवार हल्का बिंचावा के खेत खसरा संख्या 369 रकबा 0.2500 हैक्टेयर गै. मु. आवासीय प्रयोजनार्थ, तथा खेत खसरा संख्या 368 रकबा 0.0600 है. गै.मु.रास्ता खेत खसरा संख्या 853/369 रकबा 0.1800 है. भूमि में घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती बाबत वादी का हस्तगत वाद खारीज किया जाता है।

(विकास मोहन [illegible] R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **24.03.2026** को सरे इजलास सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना,
बइजलास : पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, **R.A.S.**
राजस्व वाद संख्याः 44 / 2026(185 / 2024)
दायर दिनाँक 05.02.2026(24.07.2024)

वादीगण

1. रामनिवास पुत्र स्व. शंकरराम जाति मेघवाल निवासी सींवा तहसील लाडनूं जिला डीडवाना–कुचामन
2. जगदीश पुत्र मुलतान जाति बावरी निवी फरडोद तहसील जायल जिला नागौर राज.

बनाम्

प्रतिवादी

1. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, व रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act एवं 136 L.R.Act

दिनाँक 24.03.2026

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री छोटूराम चौधरी वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि राजस्व ग्राम बांठडी पटवार हल्का बिंचावा के खेत खसरा संख्या 369 रकबा 0.2500 हैक्टेयर गै. मु. आवासीय प्रयोजनार्थ, तथा खेत खसरा संख्या 368 रकबा 0.0600 है. गै.मु.रास्ता खेत खसरा संख्या 853 / 369 रकबा 0.1800 है. भूमि में घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती बाबत वादी का हस्तगत वाद खारीज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–............... बाबत.....................–................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 24.03.2026 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील	–		महनताना		
खर्चा गवाहान	–		वकील		
फिस कमिश्नर			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय			फिस कमिश्नर		
हुक्मनामा			बाबत इजराय		
मुतफर्रिक			हुक्मनामा		
			मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना